फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अरविन्द वगैरह बनाम कनुभाई वगैरह

किस्म मुकदमा .....225.आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....36.....सन.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.04.2023	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020 बउनवान अरविन्द बनाम कनुभाई वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकरण मे स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर अधिवक्ता अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जाखडी तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नंबर 460 रकबा 0.09 हैक्टेर के संबध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने के निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.07.2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत आगामी पेशी दिनांक 27.08.2020 नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 11 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर युद्धस्तर पर कार्य शुरू करने पर अपीलांटगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

	के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत दिनांक 13.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र आवश्यक सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर अपीलांटगण की सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पर मौक की स्थिति को यथावत रखे जाने के संबध मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उसके पश्चात दिनांक 12.04. 2023 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण की सुनवाई की जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एंव रेस्पोडेन्टगण की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 07 से 11 का खातेदारी मे नाम नहीं होने के बावजूद जैर अपील आदेश की आड मे वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध मे मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना जैर अपील आदेश पारित किया है। जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्ट संख्या 07 से 11 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर निर्माण कार्य कर वादग्रस्त आराजी पर मौके पर फेरबदल करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी के संबध मे धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संबध मे मूल वाद आदिनांक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय उक्त वाद के अन्तर्गत उभयपक्षो को सुनवाई किये जाने के पश्चात निर्णीत होगा। किन्तु अगर इस दौरान जैर अपील आदेश के कारण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के किसी हिस्से पर निर्माण कार्य करते है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी। जिसे रोका जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अत प्रकरण मे व्यादेश इस अमर का सादिर किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मूल वाद तक	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा जाखडी तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नंबर 460 रकबा 0.09 हैक्टेर पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे। उक्त आदेश की प्रति सहायक कलक्टर रानीवाडा एवं तहसीलदार रानीवाडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली